



पश्चिम रेलवे
Western Railway

संख्या: निपटारा /789/परिवार पेशन

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, रतलाम

विषय: - पारिवारिक पेंशन के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने बाबत ।

परिवार पेंशन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज इस कार्यालय को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है:-

1. पूर्ण विवरण के साथ पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करने हेतु आवेदन पत्र।
2. 7th CPC PPO की प्रति।
3. आपके माता/पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र।
4. मजिस्ट्रेट के समक्ष जारी शपथ पत्र (Affidavit Sworn Before Magistrate), जिसमें मृतक पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी का विवरण, परिवार के अन्य जीवित सदस्यों का विवरण, दावेदार की आय एवं वर्तमान वैवाहिक स्थिति का विवरण हो।
5. सभी जीवित भाई/बहनों की ओर से अलग-अलग शपथ पत्र, जिसमें पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करने हेतु सहमति दी गई हो। जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके मृत्यु प्रमाण पत्र। साथ ही उनके आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत करें।
6. आपके जन्म दिनांक के संबंध में स्कूल लिविंग प्रमाणपत्र/स्कूल मार्कशीट की प्रति प्रस्तुत करें।
7. संबंधित बैंक का नो ड्यूज सर्टिफिकेट - पेंशनर की मृत्यु के पश्चात किसी प्रकार का अधिक भुगतान न होने का प्रमाण प्रस्तुत करें।
8. आपके वर्तमान बैंक पासबुक की स्पष्ट छायाप्रति/कैसिल चेक प्रस्तुत करें।
9. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
10. आपका पैन कार्ड, वोटर कार्ड एवं राशन कार्ड की प्रति प्रस्तुत करें।
11. रेलवे पहचान संबंधित दस्तावेज जैसे रेलवे चिकित्सा कार्ड/मानार्थ पास की वैधता हेतु जारी परिचय पत्र, जिसमें आप स्वं कर्मचारी के परिवार की सदस्य हों, की प्रति प्रस्तुत करें।
12. विधवा/तलाकशुदा पुत्री के मामले में बच्चों की शिक्षा, रोजगार, संपत्ति/वैवाहिक स्थिति के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करें।
13. आप का विवाह श्री से दिनांक को हुआ था एव तलाक दिनांक को हुआ था, इस संबंध में तलाक की मूल डिक्री एव कोर्ट आदेश की माननीय न्यायालय द्वारा सत्यापित प्रति प्रस्तुत करें।
14. यदि दस्तावेज में नाम में अंतर है तो इस में सम्बन्ध में गजट नोटी फिकेशन की प्रति प्रस्तुत करें।
15. अविवाहित एवं मंदबुद्धि/शारीरिकविकलांग (पुत्र/पुत्री) के मामले में Unique Disability ID Card एव UDID certificate की प्रति प्रस्तुत करें।

कृपया उपरोक्त सभी दस्तावेज पूर्णरूप तैयार कर 03 सेट में निम्न पते पर, मण्डल रेल प्रबंधक (स्था.), निपटारा अनुभाग, दो बत्ती -मण्डल रेल प्रबंधक कार्यालय -रतलाम पिन -457001 को डाक माध्यम से प्रस्तुत करें। सभी दस्तावेज प्राप्त होने के पश्चात ही इस प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी। दस्तावेज प्रस्तुत न करने की स्थिति में समस्त उत्तरदायित्व आवेदक की रहेगी।

सहायक कार्मिक अधिकारी (III)

कृते: वरि. मंडल कार्मिक अधिकारी, रतलाम



पश्चिम रेलवे
Western Railway

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, पश्चिम रेलवे, रतलाम

अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा पुत्री के लिये परिवार पेंशन हेतु आवश्यक दस्तावेजों की सूची

- 1 - माता, पिता एवं पति के मृत्यु प्रमाण पत्र ।
- 2 - तलाक शुदा होने पर सक्षम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सत्यापित प्रतिलिपि एवं डिक्री ।
- 3 - माता-पिता, पति या स्वयं के परिवार का राशन कार्ड जो वर्तमान में उपलब्ध हो जिसमें आवेदक/आवेदिका का नाम दर्ज हो ।
- 4 - आयु के सम्बंध में प्रमाण पत्र स्कूल लिविंग प्रमाण पत्र , स्कूल मार्कशीट, शिक्षित नही होने पर शपथ पत्र जिसमें पूर्ण जन्म दिनांक अंकित हो ।
- 5 - चुनाव कार्ड ।
- 6 - आधार कार्ड ।
- 7 - पैन कार्ड ।
- 8 - रेलवे चिकित्सा कार्ड / मानार्थ पास की वैधता के लिये जारी परिचय पत्र ।
- 9 - तहसीलदार के द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र ।
- 10 - सभी भाई एवं बहनो की ओर से अलग-अलग शपथ पत्र जिसमें आवेदन कर्ता को परिवार पेंशन स्विकृत करने हेतु सहमति प्रदान की गई हो, नोटरी द्वारा जारी शपथ पत्र पर ।
- 11 - भाई, बहनो की मृत्यु होने पर उनके मृत्यु प्रमाण पत्र ।
- 12 - पिता, माता एवं पति से चल-अचल सम्पत्ति मिली हो तो उसकी आमदनी दर्शाते हुए शपथ पत्र जो मजिस्ट्रेट / उप मजिस्ट्रेट / कार्यवाही मजिस्ट्रेट द्वारा जारी एवं सत्यापित हो, जिसमें माता-पिता का पूर्ण विवरण, पुनः विवाह न करने एवं बेरोजगार होने सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण हो कि वह माता-पिता पर ही आश्रित थी ।
- 13 - पिताजी / माताजी को अंतिम समय तक जिस बैंक से पेंशन दी जा रही थी, उस बैंक का प्रमाण पत्र ।
- 14 - पिताजी / माताजी को जारी पी. पी. ओ. की प्रतिलिपि ।
- 15 - स्वयं के बैंक खाते की पासबुक की प्रतिलिपि ।

सभी प्रमाण पत्रों की तीन-तीन सत्यापित प्रतिलिपि आवेदन पत्र के साथ सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करे ।

स. का. अधिकारी रतलाम

अविवाहित पुत्री का नाम पी.पी.ओ. में जोड़ने बाबत दस्तावेज

- (1) पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर द्वारा आवेदन पत्र ।
- (2) शपथ पत्र की मूल प्रति, पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर एवं पुत्री के द्वारा, पुत्री के अविवाहित होने, बेरोजगार होने, पेंशनर पर आश्रित होने के सम्बंध में ।
- (3) पी.पी.ओ. की स्पष्ट सत्यापित प्रति ।
- (4) पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर एवं पुत्री दोनों के पेन कार्ड व आधार कार्ड की स्पष्ट सत्यापित प्रति ।
- (5) पुत्री के जन्म दिनांक के सम्बंध में कक्षा 10 वी की स्कूल अंक सुची / स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट / जन्म प्रमाण पत्र की स्पष्ट सत्यापित प्रति ।
- (6) पिता या माता जीवित नहीं है तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र की स्पष्ट सत्यापित प्रति ।
- (7) पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर का राशन कार्ड / समग्र परिवार कार्ड की स्पष्ट सत्यापित प्रति ।
- (8) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पुत्री के आय का प्रमाण पत्र की स्पष्ट सत्यापित प्रति ।
- (9) रेलवे से सम्बंधित मेडिकल कार्ड / परिवार पहचान पत्र / पास कार्ड इत्यादि दस्तावेज जिसमे आश्रित का भूतपूर्व कर्मचारी के साथ पुत्री के रूप में नाम दर्ज हो ।

नोट - उपरोक्त सभी दस्तावेजों में आवेदक/आवेदिका और आश्रित का नाम एवं जन्म दिनांक एक समान व सही होना आवश्यक है ।

दिव्यांग पुत्र / पुत्री का नाम पी.पी.ओ. में जोड़ने बाबत दस्तावेज

- (1) पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर द्वारा आवेदन पत्र ।
- (2) दिव्यांग पुत्र / पुत्री का UNIQUE DISABILITY ID एवं UNIQUE DISABILITY CERTIFICATE स्पष्ट सत्यापित प्रति ।
- (3) शपथ पत्र की मूल प्रति, पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर एवं पुत्र / पुत्री द्वारा, पुत्र / पुत्री के दिव्यांग होने, विवाहित/अविवाहित होने, बेरोजगार होने, पेंशनर पर आश्रित होने के सम्बंध में ।
- (4) पी.पी.ओ. की स्पष्ट सत्यापित प्रति ।
- (5) पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर एवं दिव्यांग पुत्र / पुत्री दोनों के पेन कार्ड व आधार कार्ड की स्पष्ट सत्यापित प्रति ।
- (6) दिव्यांग पुत्र / पुत्री के जन्म दिनांक के सम्बंध में कक्षा 10 वी की स्कूल अंक सुची / स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट / जन्म प्रमाण पत्र की स्पष्ट सत्यापित प्रति ।
- (7) पिता या माता जीवित नहीं है तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र की स्पष्ट सत्यापित प्रति ।
- (8) पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर का राशन कार्ड / समग्र परिवार कार्ड की स्पष्ट सत्यापित प्रति ।
- (9) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांग पुत्र / पुत्री के आय का प्रमाण पत्र की स्पष्ट सत्यापित प्रति ।
- (10) रेलवे से सम्बंधित मेडिकल कार्ड / परिवार पहचान पत्र / पास कार्ड इत्यादि दस्तावेज जिसमें आश्रित का भूतपूर्व कर्मचारी के साथ दिव्यांग पुत्र / पुत्री के रूप में नाम दर्ज हो ।

नोट - उपरोक्त सभी दस्तावेजों में आवेदक/आवेदिका और आश्रित का नाम एवं जन्म दिनांक एक समान व सही होना आवश्यक है ।